

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, नया रायपुर 492002

क्रमांक- पुमु/अमनि/छसबल/मुख्या./राय/से.-3/ 4/2016 /16, दिनांक 8/08/2016
प्रति,

सेनानी,
प्रथम वाहिनी छ.स.बल
भिलाई (छ.ग.)

विषय :- प्लाटून कमाण्डर (बैण्ड) की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में प्रकाशन।


दिनांक 1-4-2016 की स्थिति में कम्पनी कमाण्डर (बैण्ड) की वरिष्ठता सूची निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर तैयार की जाकर संलग्न प्रेषित है :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य में प्लाटून कमाण्डर (बैण्ड) संवर्ग की वरिष्ठता सूची दिनांक 1-4-2016 की स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर तैयार की गई है।
2. वरिष्ठता सूची पूर्णतः प्राविधिक है।
3. पूर्व में जारी दिनांक 1-4-2015 की वरिष्ठता सूची में सेवानिवृत्त/स्वर्गवास/पदोन्नत होने वाले प्लाटून कमाण्डर (बैण्ड) के नाम वरिष्ठता सूची से पृथक किये गये हैं।
4. 1-4-2015 के पश्चात् जो सहायक प्लाटून कमाण्डर (बैण्ड), प्लाटून कमाण्डर (बैण्ड) के पद पर पदोन्नत हुये हैं, उन प्लाटून कमाण्डर (बैण्ड) को उनके वरिष्ठताक्रम में उनके नाम सूची में शामिल कर लिये गये हैं।
5. सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता उनके द्वारा धारण किये गये पद पर स्थानापन्नता की तिथि से निर्धारित की गई है, परन्तु इस प्रकार वरिष्ठता निर्धारित करते समय इनके स्वयं के संवर्ग में नियमानुसार की गई आपस की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।
6. उपर्युक्त प्रकार की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए लगातार स्थानापन्नता की अवधि की गणना उस तारीख से मानी गई है, जिस तारीख से संबंधित कर्मचारी की उस पद पर नियुक्ति, पदोन्नति नियमित रूप से की गई है, न कि उस तारीख से जिस तारीख से उस पद पर तदर्थ या आकस्मिक रूप से नियुक्ति किया गया है।
7. इस वरिष्ठता सूची में प्लाटून कमाण्डर (बैण्ड) से संबंधित कोई भी जानकारी गलत/अधूरी हो तो प्लाटून कमाण्डर (बैण्ड) द्वारा अभ्यावेदन इकाई प्रमुख के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जायें।
8. वरिष्ठता सूची की जानकारी संबंधित इकाई के सभी प्लाटून कमाण्डर (बैण्ड) को अवलोकन कराया जाकर कॉलम नं. 1 से 12 तक अंकित जानकारी के संबंध में हस्ताक्षर प्राप्त कर उनके संबंध में अंकित सभी जानकारी सही है। यदि कोई जानकारी गलत एवं अधूरी अंकित हो तो इस संबंध में उनके आवेदन पत्र प्राप्त कर इकाई प्रमुख अपने अभिमत सहित वरिष्ठता सूची प्रकाशन के एक माह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे इस आशय का निर्देश समस्त इकाई प्रभारी को दिया जाना उचित होगा।

//2//


9. उपरोक्त सभी कार्यवाही के साथ इकाई प्रमुख इस आशय का भी प्रमाण पत्र मांगा जाना उचित होगा कि उनके कार्यालय द्वारा वरिष्ठता सूची का कार्यालय अभिलेख के अनुसार सूक्ष्मतम परीक्षण कर लिया गया है, तथा किसी प्रकार की कोई जानकारी अधूरी अथवा गलत नहीं है। यदि कोई जानकारी अधूरी अथवा गलत है, तो उसके लिए समस्त विवरण के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजा जाये।

संलग्न :- वरिष्ठता सूची।


(संजय पिल्ले)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल
पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर

पृ.क्रमांक- पुमु/अमनि/छसबल/मुख्या./राय/से.-3/6/2078 /16, दिनांक 8/08/2014
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. उप पुलिस महानिरीक्षक, छसबल-प्रथम/द्वितीय, पुलिस मुख्यालय, रायपुर।


अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल
पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर

:: प्लाटून कमाण्डर (बैण्ड) की वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2016 की स्थिति में ::

स क्र.	पद	अधिकारी का नाम	शैक्षणिक योग्यता	भर्ती का तरीका सीधी/पदोन्नति	जाति	जन्म तिथि	गृह जिला	शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	वर्तमान पद पर आमद दिनांक	वर्तमान पदस्थापना इकाई	इकाई में पदस्थापना दिनांक
1	पीसी (बैण्ड)	मारुती राव	10वीं	पदोन्नति	अ.जा.	28-Jul-62	छिन्दवाड़ा	01-Dec-83	07-Jan-16	10-Jan-16	प्रथम बटा., भिलाई	01-Dec-83